



# राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715531, E-mail: rcse.ict@gmail.com



क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/2737

दिनांक: 11/04/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन  
जिला परियोजना समन्वयक,  
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,  
समस्त जिले।



**विषय:- CLICK (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजनान्तर्गत भुगतान बाबत।**

संदर्भ:- RKCL पत्र क्रमांक 1193/RKCL/2017-18/दिनांक 14.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में विद्यालयों में संचालित क्लिक योजना सेवाप्रदाता एजेन्सी को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्लिक योजना के तहत सम्पादित MOU के अनुसार निर्धारित समयावधि में संबंधित सेवाप्रदाता को भुगतान किया जाना था, सेवाप्रदाता फर्म के द्वारा अवगत कराया है कि अधिकतम संस्थाप्रधानों ने कतिपय कारणों से भुगतान किये जाने में असमर्थता व्यक्त की है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

1. जो भी फीस बालको/अभिभावकों से एकत्रित की गई थी, उसे तत्काल सेवाप्रदाता एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करे।
2. क्लिक योजना से संबंधित छात्र एवं उनके अभिभावकों को उसके लाभ के बारे में बताकर भुगतान हेतु प्रेरित किया जावे।
3. पूर्व में भुगतान मासिक आधार पर लेने हेतु निर्देशित प्रदान किये थे। लेकिन स्वेच्छा आधार/SDMC/SMC भी सहमति के आधार पर Monthly/Quarterly/Half yearly/Yearly या अन्य कोई भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान भामाशाहों/अक्षय पेटिका/जन-सहयोग से प्राप्त राशि में से भी संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी को किया जा सकता है।
4. आईसीटी चतुर्थ चरण के प्रदत्त आवर्ती राशि/विकास कोष से भी संबंधित सेवाप्रदाता को Advance भुगतान किया जा सकता है। जिसे बाद में समायोजन किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत सेवाप्रदाता एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान निर्धारित समयावधि में करने की प्रक्रिया गंभीरता से लेते हुए आप स्वयं व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें। क्लिक योजनान्तर्गत MOU करने व विद्यालयों के भुगतान विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट आगामी P.O. बैठक से पूर्व Email करे जिससे आगामी राज्यस्तरीय समीक्षा बैठको में समीक्षा की जा सके।

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/

दिनांक: / /2018

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर।
3. जिला कलेक्टर समस्त।
4. उपायुक्त (प्रथम), रा.मा.शि.प., जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर।
6. उपनिदेशक, आईसीटी, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक